कार्यभारित स्थापना के टेलीफोन अटेंडेंट (चतुर्थ श्रेणी) को त्रुटिवंश दिये गये टेलीफोन ऑपरेटर, (तृतीय श्रेणी) के वेतनमान संबंधी रिट निर्णयों के विरूद्व रिट अपील दायर करने के आधार

याचिकाकर्ताओं को जो मूल रूप से टेलीफोन अटेंडेंट पद पर नियुक्त हुए थे, प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, इंदौर द्वारा जारी किये गए पत्रों के आधार पर टेलीफोन ऑपरेटर पद का वेतनमान दिया गया था, लेकिन भर्ती नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है और दोनों पदों के वेतनमान, योग्यता, कार्य की प्रकृति अलग–अलग है। एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, पद का पदनाम नहीं बदला जा सकता है। वैसे भी किसी भी कार्यभारित पद का वेतनमान म प्र शासन, वित्त विभाग , द्वारा निर्धारित किया जाता है । इस सम्बन्ध में विभागीय तौर पर किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण जारी करना पूरी तरह से विभागीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के बाहर है । कार्यभारित स्थापना के विभिन्न विभागीय पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में विभागीय प्राधिकारियों जैसे – प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, इंदौर द्वारा समय– समय पर जारी किये गए सभी पत्रों/आदेशों को क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण, शासन के आदेश क्रमांक एफ 16–14/2018/1/34, भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018, द्वारा निरस्त किया जा चूका है । टेलीफोन अटेंडेंट एक चतुर्थ श्रेणी का पद है और टेलीफोन ऑपरेटर एक तृतीय श्रेणी का पद है। याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है कि उन्हें टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर पदोन्नत या नियुक्त किया गया था। प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, इंदौर द्वारा जारी किये गए पत्रों में टेलीफोन अटेंडेंट और टेलीफोन ऑपरेटर दोनों पदों को टेलीफोन ऑपरेटर के संवर्ग में विलय करने सम्बन्धी उल्लेख है, लेकिन नियमों में संशोधन नहीं किया गया है । इसलिए, जब तक नियमों से जुड़ी अनुसूची में संशोधन नहीं किया जाता है, विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं का वेतनमान बदला जाना सही है। यहां तक कि विभाग द्वारा बनाए गए सेवा नियम– **"म.प्रलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागकार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2012"** में भी टेलीफोन अटेंडेंट और टेलीफोन ऑपरेटर, दो अलग–अलग पद हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के मामलो में निम्न सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किये गए है –

1. **वित्त विभाग को वेतनमान निर्धारित करने और तय करने का अनन्य अधिकार तथा भविष्य में कर्मचारियों को सही वेतनमान के अनुसार ही वेतन प्राप्त होगा –** सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने और तय करने का अनन्य अधिकार वित्त विभाग के पास है और भविष्य में कर्मचारियों को वित विभाग द्वारा निर्धारित सही वेतनमान के अनुसार ही वेतन प्राप्त होगा ।
2. **अनधिकृत परिवर्तनों की अमान्यता–** वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान में कोई भी संशोधन या विचलन, जब अन्य विभागों द्वारा अपनी व्याख्याओं या आदेशों के आधार पर किया जाता है, अमान्य घोषित किया गया।
3. **कर्मचारी पात्रता–** कर्मचारी वित्त विभाग द्वारा विशेष रूप से निर्धारित वेतनमान के हकदार हैं, और किसी अन्य विभाग को इस वेतनमान को बदलने का अधिकार नहीं है।
4. **प्रशासनिक अनुशासन–** न्यायालय ने सरकारी ढांचे के भीतर, विशेष रूप से वित्तीय मामलों में, प्रशासनिक अनुशासन और पदानुक्रम बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
5. **वसूली के विरुद्ध संरक्षण–** प्रशासनिक त्रुटि के कारण अतीत में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जा सकती, बशर्ते कि कोई धोखाधड़ी या गलतबयानी न की गई हो।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Sahib Ram Verma v. Union of India, (1995) Supp. 1 SCC 18, Syed Abdul Qadir & Ors vs State Of Bihar & Ors., 2009 (3) SCC 475, SLP (Civil) CC No. 1172/2016 (State of M.P. & others Vs Ajay Singh Rathore), decided on 27/03/2016 प्रमुख है, जिनमें यह निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों को वित विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान ही प्राप्त होगा किंतु उनकी वसूली माफ रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 11738/2012 (बलराम देवड़ा बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 में भी इसी प्रकृति का निर्णय पारित हुआ है।